न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
04/2019	111,128 LRA	07.03.2019	19.08.2019

जगमाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं तह0 व जिला चूरू (राज.)
–प्रार्थी–

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तह0 व जिला चूरू (राज.)
2. गोरधन पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं तह0 व जिला चूरू (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा चूरू तहसील व जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री शिवसिंह व श्री सरजीवणसिंह अप्रार्थी सं. 1 व 2

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नं. 87 तादादी 1.0117 हैक्टेयर व खसरा नं. 938/29 तादादी 2.0234 हैक्टेयर व खसरा नं. 939/457 तादादी 0.3667 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 3.4018 हैक्टेयर रोही ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं (राज.) के हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 शामिल प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनका बंटवारानामा भूमि सम्बन्धित का हो चुका है जो कि अपने अपने हिस्से पर कब्जा, काश्त, खातेदारी में निर्बाध रूप से चली आ रही है। यह कि उक्त कृषि भूमि की सींव को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की पूर्वी सींव को काटकर क्षतिग्रस्त कर दी है और प्रार्थी के खेत में जबरन घुसने का प्रयास किया जा रहा है जिसका विरोध प्रार्थी ने किया तो कहा कि उक्त कृषि भूमि मेरी खातेदारी में है मगर अप्रार्थीगण इसे मानने से स्पष्ट इन्कार हो गये। इसलिए उक्त विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवाई जावे जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 से 2 के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद समाप्त हो सके।

यह कि प्रार्थी के खेत की पूर्वी सींव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत कर दी और प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढी उक्त कृषि भूमि की करवाई जावे इसलिए यह विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी एक सभ्य एवं भोला भाला किसान कृषक है मगर मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिये सीमाज्ञान आवश्यक हो गया है

उपखण्ड अधिकारी

कि खसरा नं. 87 तादादी 1.0117 हैक्टेयर व खसरा नं. 938/29 तादादी 2.0234 हैक्टेयर व खसरा नं. 939/457 तादादी 0.3667 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 3.4018 हैक्टेयर रोही ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू (राज.) का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थन पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमाज्ञान (पत्थरगढी) करवाना चाहते हैं जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान सम्बन्धित विवाद ना रहे। यह कि प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि रहन होने के कारण उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 3 बैंक शाखा प्रबन्धक को पक्षकार बनाया गया है। यह कि सभी प्रकिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थी सं. 4 बनाया गया है। यह कि प्रार्थी पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी। यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खेत खसरा नं. 87 तादादी 1.0117 हैक्टेयर व खसरा नं. 938/29 तादादी 2.0234 हैक्टेयर व खसरा नं. 939/457 तादादी 0.3667 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 3.4018 हैक्टेयर रोही ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू (राज.) का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) करवाई जावे एवं प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री शिवसिंह व सरजीवणसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 3 बैंक की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 व 2 सही लिखी होने से स्वीकार की जाती है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है। इस मद में पूर्वी तरफ की सींव क्षतिग्रस्त करना लिखा गया है वो भी गलत है। प्रार्थी के खेत में जबरन घुसने का तथ्य भी गलत लिखा गया है। मौके पर दोनों खेतों के मध्य सींव मौजूद है। किसी भी तरह से सींव सीमा चिन्ह अस्पष्ट नहीं हैं। मौके पर सींव मौजूद है। मात्र न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है। इस मद में सींव को काट कर छिन्न भिन्न कर अस्पष्ट करने का तथ्य भी गलत लिखा गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है। इस मद में अंकित कृषि भूमि की पूर्वी तरफ की सीमा स्पष्ट है तथा मौके पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से लिखी गई है स्वीकार नहीं अस्वीकार की जाती है। प्रार्थी ही जानबूझकर झगड़ा फसाद करने पर

उपखण्ड अधिका
चूरू

उतारू हो जाता है तथा उसके द्वारा ही सींव क्षतिग्रस्त की जाती रही है। जिसका विरोध करने पर यह गलत रूप से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 व 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 भी स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में बिना किसी आवश्यकता के प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी समस्त तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में लेकर आना चाहिए। यह कि प्रार्थना पत्र अन्तिम मद जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है बल्कि अस्वीकार की जाती है। इस मद में अंकित खसरा नम्बर कृषि भूमि की पूर्वी सीमा पूर्णतया स्पष्ट है तथा मौके पर सींव है। इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमा कर प्रार्थी से हर्जा खर्चा दिलवाया जावे। प्रार्थी द्वारा मांगे गये समस्त अनुतोष खारिज फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी सं. 3 बैंक की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित आया कि वादी को बैंक द्वारा स्वीकृत केसीसी आदि ऋण सुविधा जो प्रदान की गई है, उसके लिए बैंक हित सुरक्षित करने का श्रम करें।

प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण की ओर से पेश होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। पूर्व में उक्त वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की रही है बाद में खाता विभाजन होकर अलग खाते कायम हो गये। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य स्थित पूर्वी सींव को अप्रार्थीगण ने जबरन काट कर नष्ट कर दिया एवं वर्तमान में काश्त के समय उक्त सींव को लेकर विवाद बना रहता है जिसके स्थाई निपटारे के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि भविष्य में सींव को लेकर कोई विवाद नहीं रहे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमा ज्ञान व पुख्ता पत्थरगढी के आदेश जारी किये जावें। प्रार्थी नियमानुसार निर्धारित शुल्क वहन करने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अनावश्यक रूप से पेश किया है क्योंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कभी भी सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य स्थित पूर्वी सींव पूरी तरह से सुरक्षित है तथा आज भी मौके पर मौजूद है। प्रार्थी के साथ हमारा सींव को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र केवल न्यायालय की कीमती समय जाया करने के लिए अनावश्यक रूप से पेश किया है। इसलिए प्रार्थी की ओर से पेश यह निराधार प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से

2074 ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं के ख.नं. 87 तादादी 1.0117 हैक्टेयर व खसरा नं. 938/29 तादादी 2.0234 हैक्टेयर व खसरा नं. 939/457 तादादी 0.3667 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 3.4018 हैक्टेयर में प्रार्थी जगमाल पुत्र शेराराम जाति जाट खातेदार अंकित हैं। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने हालांकि अपने जवाब में प्रार्थी के साथ कोई भी सींव सम्बन्धी विवाद होने से इन्कार किया है परन्तु ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं के ख.नं. 87 तादादी 1.0117 हैक्टेयर व खसरा नं. 938/29 तादादी 2.0234 हैक्टेयर व खसरा नं. 939/457 तादादी 0.3667 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 3.4018 हैक्टेयर की नपती हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू